हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
23 जुलाई 2024, समय 1810

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया।
- बजट में दो लाख करोड रुपये के परिव्यय से युवाओं के लिए रोज़गार और कौशल अवसर बढ़ाने की पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
- करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढाकर 75 हज़ार रुपये की गई ।
- वित्त मंत्री ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट को संतुलित, सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बताया ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल का 47 लाख 65 हज़ार,768 करोड़ रूपये का बजट पेश किया,जो 2023-2024 के संशोधित अनुमानों से छ: प्रतिशत अधिक है।लोकसभा में में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट गरीब,महिलाओं और युवाओं और प किसानों पर केंद्रित है । श्रीमती सीतारामन ने बजट में कृषि, सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उधमों, विनिर्माण एवं अवसरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की।उन्होंने 5 साल में 2 लाख करोड़ रूपये के बजट से 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोज़गार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की पैकेज में पहली बार नौकरी लगने वाले कर्मचारियों को उनके ख़ाते में एक माह का वेतन तीन किस्तों में दिया जायेगा ,जिससे लगभग दो करोड़,10 लाख युवा लाभान्वित होंगे।यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन एक लाख रूपये तक होगा।प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा। बजट में युवाओं के लिए देश के संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा ।इसके अलावा बजट में विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के प्रथम चार वर्षों के दौरान, अतिरिक्त रोज़गार के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जायेगा,जिस से लगभग 30 लाख युवा और उनके नियोक्ता लाभन्वित होंगे यह

प्रोत्साहन,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किये जाने वाले योगदान में दिया जायेगा ।बजट में अतिरिक्त रोज़गार देने पर 2 वर्ष तक भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि में स तीन हज़ार रूपये प्रति माह खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वित्त मंत्री ने तरुण वर्ग के तहत दिए जाने वाले मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रूपये से बढाकर 30 लाख रूपये करने की घोषणा भी की है ।बजट में सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उधमों को तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण के लिए अवधि ऋण देने हेतु ऋण गारंटी योजना की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आयकर में तय कटौती यानि Standard Reduction 50 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 75 हज़ाररूपये करने की घोषणा की है ,जो नयी कर व्यवस्था के तहत लागू होगी। इसी तरह ,पारिवारिक पेंशन पाने वालो कि तय कटौती 15 हज़ार रूपये से बढाकर 25 हज़ार रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। इससे लगभग 4 करोड़ वेतन और पेंशन भोगियों को लाभ होगा।सरकार ने आयकर भरने के लिए नयी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए संशोधित कर दरों की घोषणा भी की है। 3 लाख से 7 लाख रूपये की आय पर 5 प्रतिशत ,7 से 10 लाख रूपये की आय पर 10 प्रतिशत,10 से 12 लाख रूपये की आय पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रूपये की आय पर 20 प्रतिशत की दर से आय कर देना होगा, जबकि 15 लाख से अधिक आय वालों से 30 प्रतिशत की दर से आयकर लिया जायेगा।इन बदलावों के परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी साढ़े 17 हज़ार रूपये तक की बचत कर सकेँगे। बजट में नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौती 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क कम करने 6 प्रतिशत करने और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े अपील पर लंबित विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 2024 की विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव भी किया है।बजट में विदेशी कंपनियों पर निगमित कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना है। सरकार ने भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र,उधमिता की भावना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों पर लगने वाला ऐंजल कर समाप्तकरने का प्रस्ताव भी किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर कानून-1961 को संक्षिप्त,सरल और आसानी से पढ़ा व समझा जाने वाला बनाने के लिए इसकी विस्तृत समीक्षा की घोषणा की है ।आज प्रस्तुत बजट में उन्होंने पूंजी लाभ कराधान के सरलीकरण की घोषणा की। अब कई वित्तीय परिसम्पतियों पर अल्प अवधि लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगेगा,जबकि सभी वित्तीय एवं गैर वित्तीय परिसम्पतियों पर दीर्घ अवधि लाभ पर साढ़े 12 प्रतिशत की दर से कर लिया जायेगा । वहीँ निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के फायदे के लिए कई वित्तीय परिसम्पतियों पर पूंजी लाभ में छूट की सीमा,बढाकर एक लाख,25 हज़ार रूपये प्रति वर्ष की गयी है।

वर्ष 2024 -25 के बजट में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए एक लाख बावन करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।श्रीमती सीतारामन ने कहा है कि आगामी 2 वर्षो में एक करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग से पप्राकृतिक खेती से जोड़ा जायेगा ।उन्होंने कहा की प्रमुख खपत केंद्रों के नजदीक बढे स्तर के सब्ज़ी उत्पादन क्लस्टर विकसित किये जायेंगे केंद्र राज्यों की भागीदारी से तीन वर्ष में देश के 400 जिलों में किसानों और उनकी भूमि के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना की सुविधा प्रदान करेगा ।बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी ।बजट में 10 लाख करोड़ रूपये से PM शहरी आवास योजना के दूतीय चरण में एक करोड़ गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने की घोषणा की गई है ।प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू करने और कैंसर की 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क कम करने की घोषणा भी बजट में की गई है । आम जन ने बजट की सराहना की है ।हरियाणा के जींद में वेद प्रकाश पांचाल ने बजट पर कहा :बाइट वेद प्रकाश, जगमेश सिंधु ने भी बजट को जनहितैषी बताया है ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमान रखे हैं उन्हें गति देने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विकसित भारत के साथ साथ ग़रीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। ये बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी,सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। की घोषणा स्वागत योग्य है।